SSC FOUNDATION

सम्यान 1.0 बैच

CONSTITUTION

PARLIAMENT

(संसद)

समय से तैयारी, समय से सफलता

DAILY LIVE : 12 PM

BY-PAWAN SIR

WELCOME TO

airGurukul

Preparing Bharat, Empowering Futures

airGurukul Institute for Career Growth

www.airgurukul.com

Powered by **Prince Edutech Private Limited**

⚠️ Disclaimer ⚖️

This presentation, lecture, and all related study materials have been created and published by airGurukul Institute for Career Growth, a unit of ***Prince Edutech Private Limited***, for educational and informational purposes only. While every effort has been made to ensure the accuracy and reliability of the content, airGurukul does not guarantee that the information is absolutely current or free from error. Examination patterns, syllabus, and official notifications are subject to change by respective authorities, and students are strongly advised to verify details from official sources before making any decisions.

All third-party materials including logos, questions, references, or data used within this content are solely for educational illustration and fair-use academic discussion. Their ownership and copyrights remain with their respective owners. airGurukul shall not be held liable for any loss, damage, or consequence arising directly or indirectly from the use of this information.

By attending this session, viewing this content, or using the provided materials, the viewer acknowledges and agrees to this disclaimer. Unauthorized recording, copying, or redistribution of this content in any form is strictly prohibited.

PARLIAMENT

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से 122 तक (One-Liner Notes)

अनुच्छेद 79 – संसद का गठन (राष्ट्रपति + राज्यसभा + लोकसभा)। Constitution of Parliament.
अनुच्छेद 80 – राज्यसभा की संरचना। Composition of the Rajya Sabha.
अनुच्छेद 81 – लोकसभा की संरचना। Composition of the Lok Sabha.

अनुच्छेद 82 – प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन।
Readjustment of seats after each Census.
अनुच्छेद 83 – संसद के सदनों की अवधि।
Duration of Houses of Parliament.
अनुच्छेद 84 – संसद सदस्यता के लिए अर्हताएँ।
Qualifications for membership of Parliament.
अनुच्छेद 85 – संसद का सत्र, स्थगन और लोकसभा का विघटन।
Sessions, prorogation and dissolution of Lok Sabha.
अनुच्छेद 86 – राष्ट्रपति का संसद को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार।
President's right to address and send messages to Parliament.
अनुच्छेद 87 – राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण।
Special Address by the President.
अनुच्छेद 88 – मंत्रियों एवं महान्यायवादी का सदनों में बोलने का अधिकार।
Rights of Ministers and Attorney General in Parliament.

संसद के अधिकारी (Officers of Parliament)

अनुच्छेद 89 – राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति।
Chairman and Deputy Chairman of Rajya Sabha.

अनुच्छेद 90 – उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र एवं पद से हटाना।
Vacation, resignation and removal of Deputy Chairman.

अनुच्छेद 91 – सभापति के पद के रिक्त होने पर कार्यवाहक व्यवस्था।
Power of Deputy Chairman or other person to perform duties.

अनुच्छेद 92 – पद से हटाने के प्रस्ताव पर सभापति/उपसभापति पीठासीन नहीं होगा।
Chairman not to preside while removal resolution is under consideration.

अनुच्छेद 93 – लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष।
Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha.

अनुच्छेद 94 – अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्यागपत्र एवं पद से हटाना।
Vacation, resignation and removal of Speaker and Deputy Speaker.

अनुच्छेद 95 – अध्यक्ष के पद रिक्त होने पर कार्यवाहक व्यवस्था।
Duties of Deputy Speaker or other person.

अनुच्छेद 96 – अध्यक्ष पद से हटाने के प्रस्ताव के समय अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा।
Speaker not to preside during removal motion.

अनुच्छेद 97 – सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन-भत्ते।
Salaries and allowances of presiding officers.

संसद की कार्यवाही (Conduct of Business)

अनुच्छेद 98 – संसद का सचिवालय।
Secretariat of Parliament.

अनुच्छेद 99 – सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
Oath or affirmation by members.

अनुच्छेद 100 – मतदान, गणपूर्ति (Quorum) एवं निर्णय।
Voting and quorum in Houses.

अनुच्छेद 101 – सीट रिक्त होना।
Vacation of seats.

अनुच्छेद 102 – संसद सदस्यता हेतु निरर्हताएँ।
Disqualifications for membership.

अनुच्छेद 103 – सदस्य की निरर्हता पर राष्ट्रपति का निर्णय।
Decision on disqualifications.

अनुच्छेद 104 – अयोग्य व्यक्ति द्वारा बैठने एवं मतदान पर दंड।
Penalty for sitting and voting before qualification.

अनुच्छेद 105 – संसद के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ।
Powers, privileges and immunities of Parliament.

अनुच्छेद 106 – सांसदों के वेतन एवं भत्ते।
Salaries and allowances of MPs.

विधायी प्रक्रिया (Legislative Procedure)

अनुच्छेद 107 – विधेयकों के प्रस्तुतीकरण एवं पारित करने की प्रक्रिया।
Introduction and passing of Bills.

अनुच्छेद 108 – दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। Joint sitting of Parliament.

अनुच्छेद 109 – धन विधेयकों की विशेष प्रक्रिया। Special procedure for Money Bills.

अनुच्छेद 110 – धन विधेयक की परिभाषा। Definition of Money Bill.

अनुच्छेद 111 – राष्ट्रपति की स्वीकृति। Assent to Bills.

अनुच्छेद 112 – वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)। Annual Financial Statement.

अनुच्छेद 113 – अनुदानों की मांगों की प्रक्रिया।
Procedure regarding demands for grants.

अनुच्छेद 114 – विनियोग विधेयक।
Appropriation Bills.

अनुच्छेद 115 – अनुपूरक, अतिरिक्त एवं अधिक अनुदान।
Supplementary, additional and excess grants.

अनुच्छेद 116 – लेखानुदान, प्रत्ययानुदान एवं अपवादानुदान।
Vote on account, vote of credit and exceptional grants.

अनुच्छेद 117 – वित्त विधेयकों से संबंधित विशेष उपबंध।
Special provisions regarding Financial Bills.

सामान्य प्रक्रिया (General Procedure)

अनुच्छेद 118 – संसद की कार्यप्रणाली के नियम।
Rules of procedure.

अनुच्छेद 119 – वित्तीय कार्यों के विनियमन संबंधी नियम।
Regulation of financial business.

अनुच्छेद 120 – संसद में प्रयुक्त भाषा।
Language to be used in Parliament.

अनुच्छेद 121 – न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का निषेध (महाभियोग को छोड़कर)।
Restriction on discussion of conduct of judges.

अनुच्छेद 122 – संसदीय कार्यवाहियों की न्यायालयीय जांच पर रोक।
Courts not to inquire into parliamentary proceedings.

PARLIAMENT / संसद

Article 79 lays down the basic structure of the Indian Parliament. It clearly states that the Parliament of India shall consist of the President and two Houses:

Council of States (RAJYA SABHA) – The Upper House
House of the People (LOK SABHA) – The Lower House

अनुच्छेद 79 यह स्पष्ट करता है कि भारत की संसद तीन अंगों से मिलकर बनेगी:
राष्ट्रपति (President of India)
राज्यसभा (Council of States) – उच्च सदन
लोकसभा (House of the People) – निचला सदन

इस प्रकार, संसद केवल राज्यसभा और लोकसभा तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति भी इसका अभिन्न अंग है। यदि राष्ट्रपति का अनुमोदन (Assent) न हो तो कोई भी विधेयक कानून (Act) नहीं बन सकता।

राष्ट्रपति संसद का अंग क्यों है?

यद्यपि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी उसे संसद का अभिन्न अंग माना गया है क्योंकि—

- संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है।
- राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता (Summon) और स्थगित (Prorogue) करता है।
- राष्ट्रपति लोकसभा को भंग (Dissolve) कर सकता है।
- राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकता है।

Although the President is not a member of either House, he/she is an integral part of Parliament because no bill becomes law without presidential assent and the President performs important parliamentary functions.

संसद के दो सदन (Two Houses of Parliament)

(A) राज्यसभा (Rajya Sabha)

- संसद का उच्च सदन (Upper House)
- स्थायी सदन (Permanent House)
- कभी भंग नहीं होती।

(B) लोकसभा (Lok Sabha)

- संसद का निम्न सदन (Lower House)
- प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित।
- सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल।

लोकसभा (Lok Sabha) और राज्यसभा (Rajya Sabha) की स्थापना

राज्यसभा (Rajya Sabha – Council of States)

Established (स्थापना): 3 अप्रैल 1952

यह भारत की उच्च सदन (Upper House) है।

पहला सत्र (First Session) → 13 मई 1952

पहला सभापति (Chairman) → डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

अधिकतम सदस्य संख्या = 250 [NOW- 245]

238 निर्वाचित [NOW- 233]

12 नामित राष्ट्रपति द्वारा

लोकसभा (Lok Sabha – House of the People)

Established (स्थापना): 17 अप्रैल 1952

यह भारत की निचला सदन (Lower House) है।

पहला सत्र (First Session) → 13 मई 1952

पहला अध्यक्ष (Speaker) → जी. वी. मावलंकर

अधिकतम सदस्य संख्या = 552 [NOW- 543]

530 राज्यों से

20 केंद्रशासित प्रदेशों से [NOW- 13]

2 एंग्लो-इंडियन राष्ट्रपति द्वारा नामित

[104 वें संशोधन 2019 से समाप्त]

श्रेणी	सीटें
अनुसूचित जाति (SC)-	- 84
अनुसूचित जनजाति (ST)-	- 47
सामान्य-	- 412
कुल-	- 543

NOTE :-

- संसद भवन की नींव (Foundation Stone) 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कॉनॉट (Duke of Connaught) ने रखी थी।
- इसे सर एडविन लुटियन्स (Sir Edwin Lutyens) और सर हर्बर्ट बेकर (Sir Herbert Baker) ने डिज़ाइन किया था।
- इसका निर्माण कार्य 1927 में पूरा हुआ।
- संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन (Lord Irwin) ने किया।

14 जनवरी 1954 को The Lok Sabha Secretariat issued an order जिसमें कहा गया कि:
"The House of the People" को अब आधिकारिक रूप से "Lok Sabha" कहा जाएगा।
"The Council of States" को आधिकारिक रूप से "Rajya Sabha" कहा जाएगा।

नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी और 28 मई, 2023 को इसका उद्‌घाटन किया गया.

नए संसद भवन (New Parliament Building) के वास्तुकार (Architect) हैं – बिमल पटेल (Bimal Patel)

नागपुर से लकड़ी: लकड़ी का डिज़ाइन मुंबई, महाराष्ट्र के कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा तैयार किया गया था।
दोनों सदनों में अशोक चक्र इसी सागौन की लकड़ी से बनाया गया था।

गुजरात का मार्बल: गुजरात का सफेद मार्बल लगा है तो राजस्थान का शानदार स्टोन वर्क है।
त्रिपुरा की बैम्बू वुड फ्लोरिंग है।
लकड़ी के जटिल डिजाइनों से नए संसद भवन की भव्यता और दिव्यता बढ़ी है।
यह भवन सभी वर्गों और प्रांतों ने मिलकर बनाया है।

बैठक क्षमता (Seating Capacity)

लोकसभा कक्ष

888 सदस्यों के बैठने की क्षमता।
थीम : मोर (Peacock) – भारत का राष्ट्रीय पक्षी।

राज्यसभा कक्ष

384 सदस्यों के बैठने की क्षमता।
थीम : कमल (Lotus) – भारत का राष्ट्रीय पुष्प।

संयुक्त अधिवेशन

1,272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था।

तीन मुख्य द्वार :-

ज्ञान द्वार (Gyan Dwar)
शक्ति द्वार (Shakti Dwar)
कर्म द्वार (Karma Dwar)

ARTICLE / अनुच्छेद- 80 राज्यसभा (States Council / Rajya Sabha)

अनुच्छेद 80 भारतीय संविधान में राज्यसभा (States Council / Rajya Sabha) की संरचना से संबंधित है। इसमें यह बताया गया है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे और वे किस प्रकार चुने या मनोनीत किए जाएंगे।

मुख्य प्रावधान:

अधिकतम संख्या – राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं।

238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं।

निर्वाचित सदस्य –

राज्यों के सदस्य संबंधित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।

चुनाव की पद्धति – एकल संक्रमणीय मत पद्धति (Single Transferable Vote – STV) द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) l

केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार चुने जाते हैं।

मनोनीत सदस्य –

राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं।

ये सदस्य वे होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।

ARTICLE / अनुच्छेद- 80

(1) राज्य सभा में निम्नलिखित शामिल होंगे-
(क) राष्ट्रपति द्वारा खंड (3) के उपबंधों के अनुसार नामनिर्देशित किए जाने वाले बारह सदस्य; और
(ख) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के दो सौ अड़तीस से अनधिक प्रतिनिधि।

(2) राज्य सभा में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आबंटन चतुर्थ अनुसूची में उस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा।

(3) राष्ट्रपति द्वारा खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेंगे जिनके पास निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, अर्थात्:-
साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा।

(4) राज्य सभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।

(5) राज्य सभा में संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चयन ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा संसद विधि द्वारा विहित करे।

(1) The Council of States shall consist of—

(a) twelve members to be nominated by the President in accordance with the provisions of clause (3); and

(b) not more than two hundred and thirty-eight representatives of the States and of the Union territories.

(2) The allocation of seats in the Council of States to be filled by representatives of the States and of the Union territories shall be in accordance with the provisions in that behalf contained in the Fourth Schedule.

(3) The members to be nominated by the President under sub-clause (a) of clause (1) shall consist of persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following, namely:—

Literature, science, art and social service.

(4) The representatives of each State in the Council of States shall be elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(5) The representatives of the Union territories in the Council of States shall be chosen in such manner as Parliament may by law prescribe.

पहली राज्यसभा को स्थायी सदन कैसे बनाया गया?

राज्यसभा एक स्थायी सदन (Permanent House) है, इसलिए इसे कभी भंग नहीं किया जाता।

पहली बार गठन के समय सभी सदस्य एक साथ चुने गए थे। इसलिए यह तय करने के लिए कि हर दो वर्ष बाद एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हों, लॉटरी (Draw of Lots) निकाली गई और सदस्यों को तीन श्रेणियों में बाँटा गया:

- एक-तिहाई सदस्य – 2 वर्ष का कार्यकाल
- एक-तिहाई सदस्य – 4 वर्ष का कार्यकाल
- एक-तिहाई सदस्य – 6 वर्ष का कार्यकाल

इसके बाद से प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर दो वर्ष बाद लगभग एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।

Article 81 – Composition of the House of the People (Lok Sabha)
अनुच्छेद 81 – लोकसभा की संरचना

लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं –

- 530 सदस्य – राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- 20 सदस्य – केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- 2 सदस्य – राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय से नामित किए जाते थे।
  (यह प्रावधान 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 से समाप्त कर दिया गया है)।

वर्तमान स्थिति (Latest)

- •लोकसभा में अधिकतम 550 निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं (530 राज्य + 20 केंद्र शासित प्रदेश)।
- •अब कोई नामित सदस्य नहीं है।
- •वर्तमान (18वीं लोकसभा, 2024–2029) में कुल 543 सदस्य हैं।

सीटों का आवंटन (Allocation of Seats)

- •राज्यों में लोकसभा की सीटें जनसंख्या के आधार पर बाँटी जाती हैं।
- •प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या और जनसंख्या का अनुपात यथासंभव समान रखा जाता है।
- •परंतु, 42वें संशोधन (1976) और बाद में 84वें संशोधन (2001) के अनुसार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक स्थिर (freeze) कर दिया गया है।

- The Lok Sabha shall consist of not more than 552 members.
  - 530 members – Representatives of the States.
  - 20 members – Representatives of the Union Territories.
  - 2 members – Nominated by the President from the Anglo-Indian community (This provision was abolished by the 104th Constitutional Amendment Act, 2019).
- Current Strength (As per latest amendments)-
- Lok Sabha has a maximum of 550 elected members (530 from States + 20 from UTs).
- No nominated members now (since 2020).
- Present Lok Sabha (18th Lok Sabha, 2024–2028) has 543 members (nominated from Anglo- Indian was abolished).
- Seats are allocated to the States on the basis of population.
- Ratio of population to seats must remain as equal as possible across States.
- But, 42nd Amendment (1976) and later 84th Amendment (2001) froze the allocation of seats on the basis of the 1971 Census till 2026.

पहले प्रावधान था कि हर जनगणना के बाद संसद (लोकसभा और राज्यसभा) की सीटों का पुनर्वितरण होगा ताकि जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व बराबर रहे।

लेकिन, जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई थी, उनके साथ अन्याय न हो, इसलिए सीटें फ्रीज़ (स्थिर) कर दी गईं।

मुख्य संशोधन:

31 वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1973:

इस संशोधन ने लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दीं और राज्यसभा में भी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सीटों का पुनर्विन्यास किया गया।

42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976:

लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का बंटवारा 1971 की जनगणना के आधार पर फ्रीज़ कर दिया गया। यह रोक 2001 तक के लिए लगाई गई थी।

84वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2001:

इस रोक को बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया।कुल सीटें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन सीमांकन (delimitation) 2001 की जनगणना के आधार पर किया जा सकता है।

87वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003:

स्पष्ट किया गया कि सीमांकन 2001 की जनगणना के आधार पर होगा, लेकिन कुल सीटों की संख्या 2026 तक स्थिर रहेगी।

31वां संविधान संशोधन अधिनियम (1973) के तहत मुख्य रूप से लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या को बढ़ाया गया था। इस संशोधन के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं :-

लोकसभा सीटों में वृद्धि: इसके माध्यम से लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई।

राज्यों का प्रतिनिधित्व: राज्यों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई।

केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व: केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई।

जनगणना का आधार: यह संशोधन 1971 की जनगणना के परिणामों को ध्यान में रखते हुए लाया गया था।

Article 82 – Readjustment after each Census (जनगणना के बाद पुनर्समायोजन)

अनुच्छेद 82 भारत के संविधान का वह अनुच्छेद है जो हर जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों के पुनर्विन्यास (readjustment) और राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः निर्धारण (delimitation) से संबंधित है।

प्रत्येक जनगणना के बाद, संसद को यह अधिकार है कि वह एक कानून बनाए जिससे—

(a) प्रत्येक राज्य को लोकसभा में सीटों का पुनः आवंटन किया जा सके।
(b) प्रत्येक राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः विभाजन किया जा सके।

सीमा निर्धारण आयोग (Delimitation Commission):

इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद द्वारा पारित Delimitation Act के अनुसार केंद्रीय सरकार एक सीमा निर्धारण आयोग गठित करती है।
यह आयोग निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ तय करता है।

सीटों का स्थिरीकरण (Freeze of Seats):

42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा सीटों का पुनर्विन्यास 2000 तक के लिए स्थिर (फ्रीज़) कर दिया गया था ।
(1971 की जनगणना के आधार पर) बाद में 84वें संविधान संशोधन (2001) के तहत इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया।
अब 2026 के बाद की पहली जनगणना के अनुसार ही सीटों का नया निर्धारण किया जाएगा।

स्थिरीकरण का उद्देश्य:

इस निर्णय का उद्देश्य था कि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को प्रति व्यक्ति कम प्रतिनिधित्व का नुकसान न उठाना पड़े।

Post-Census Readjustment:

After every Census, the Parliament shall enact a law to readjust:

(a) The allocation of seats to each State in the House of the People (Lok Sabha).

(b) The division of each State into constituencies (Delimitation).

Delimitation Commission:

Based on this Article, the Delimitation Commission is set up by the Central Government under the Delimitation Act passed by Parliament.

This Commission determines the boundaries of constituencies.

Freezing of Readjustment (42nd & 84th Amendments):

Due to the 42nd Constitutional Amendment (1976), readjustment of seats was frozen till the year 2000, based on the 1971 Census.

Later, the 84th Amendment (2001) extended this freeze up to the year 2026, based on the 2001 Census.

Thus, number of seats per state in Lok Sabha and State Assemblies cannot be changed until after the first census post-2026.

Purpose of the Freeze:

To encourage population control, so that states with successful family planning don't lose representation.

Article 83 – Duration of Houses of Parliament (संसद के सदनों की अवधि)

अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों – लोकसभा (जन प्रतिनिधि सभा) और राज्यसभा (राज्यों की परिषद) – की अवधि (कार्यकाल) से संबंधित है।
यह अनुच्छेद बताता है कि दोनों सदन कितने समय तक चलते हैं, और कब समाप्त या भंग किए जा सकते हैं।

उपधारा (1): राज्यसभा की अवधि (Duration of Rajya Sabha):
राज्यसभा एक स्थायी सदन (Permanent House) है — इसे कभी भंग नहीं किया जाता।
लेकिन इसके एक-तिहाई (1/3) सदस्य हर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं,
और उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं।
इस प्रकार, राज्यसभा निरंतर कार्यरत रहती है (Continuous Body)।

उपधारा (2): लोकसभा की अवधि (Duration of Lok Sabha):
लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है,
जिसे उसकी पहली बैठक की तारीख से गिना जाता है।
परंतु राष्ट्पति इसे पहले भी भंग कर सकते हैं।
यदि राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) लागू हो,
तो संसद लोकसभा की अवधि को एक बार में एक वर्ष तक बढ़ा सकती है,
लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद अधिकतम 6 महीने तक ही बढ़ाया जा सकता है।

Article 83 of the Indian Constitution deals with the duration (tenure) of the two Houses of Parliament — Lok Sabha (House of the People) and Rajya Sabha (Council of States).

It explains how long each House continues, and when elections or dissolutions are required.

Clause (1): Duration of the Rajya Sabha (Council of States):

The Rajya Sabha is a permanent body — it is not subject to dissolution.

However, one-third (1/3rd) of its members retire every two years, and new members are elected to replace them.

Thus, the Rajya Sabha is a continuous chamber.

Clause (2): Duration of the Lok Sabha (House of the People):

The normal term of the Lok Sabha is five (5) years from the date of its first meeting.

However, it can be dissolved earlier by the President.

During a National Emergency (Article 352), the Parliament may extend the term of Lok Sabha by one year at a time,

but not beyond six months after the Emergency ends.

Article 84 – Qualification for Membership of Parliament (संसद की सदस्यता के लिए योग्यता)

अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए आवश्यक योग्यताओं के बारे में बताता है।
यह तय करता है कि कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किन शर्तों को पूरा करे।

अनुच्छेद 84 के अनुसार, संसद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएँ पूरी करनी होती हैं –
भारत का नागरिक होना चाहिए।

न्यूनतम आयु (Minimum Age):

- राज्यसभा (Rajya Sabha) के लिए – 30 वर्ष या उससे अधिक।
- लोकसभा (Lok Sabha) के लिए – 25 वर्ष या उससे अधिक।

अन्य योग्यताएँ (Other Qualifications):

- ऐसी अन्य योग्यताएँ जो संसद कानून द्वारा निर्धारित करे।
(उदाहरण: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत, व्यक्ति को मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, दोषसिद्ध अपराधी नहीं होना चाहिए आदि।)

According to **Article 84**, a person shall be qualified to be chosen to fill a seat in Parliament if they meet the following conditions:

He/She must be a citizen of India.

Minimum Age:

- For Rajya Sabha (Council of States) → 30 years or above.
- For Lok Sabha (House of the People) → 25 years or above.

Other Qualifications:

- Must possess such other qualifications as may be prescribed by Parliament by law.
- (Example: Representation of the People Act, 1951 prescribes these details such as voter registration, disqualification grounds, etc.)

Article 85 – Sessions of Parliament, Prorogation and Dissolution
(संसद के सत्र, स्थगन एवं विघटन)

•उपधारा (1): संसद का आह्वान (Summoning of Parliament)
•राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बुलाएंगे।
•छः महीने का नियम:
- •किसी सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।
- •इसका अर्थ है कि संसद की कम-से-कम दो बैठकें हर वर्ष होनी चाहिए।

•उपधारा (2): स्थगन और विघटन (Prorogation and Dissolution)
•राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह:
(a) संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों को स्थगित (Prorogue) कर दें — अर्थात् सत्र समाप्त कर दें, पर सदन भंग न करें।
(b) लोकसभा को भंग (Dissolve) कर दें — अर्थात् लोकसभा का कार्यकाल समाप्त कर नया चुनाव कराया जाए।
- •राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह स्थायी सदन (Permanent House) है।

Article 85

of the Indian Constitution deals with the sessions (meetings) of Parliament, and the powers of the President regarding the **summoning, prorogation, and dissolution** of the Houses — Lok Sabha and Rajya Sabha.

It ensures that Parliament meets regularly and gives the President the power to start, end, or dissolve its sessions.

•Clause (1): Summoning of Parliament

- The President shall summon (call) each House of Parliament from time to time.
- Six months rule:
  - There must not be more than six months' gap between the last sitting of one session and the first sitting of the next session.
  - This means Parliament must meet at least twice every year.

•Clause (2): Prorogation and Dissolution

- The President may:

(a) Prorogue (स्थगित) either House or both Houses of Parliament — i.e., end a session without dissolving the House.

(b) Dissolve (विघटित) the Lok Sabha (House of the People).

- **Rajya Sabha cannot be dissolved, since it is a permanent body.**

Article 86 – Right of the President to Address and Send Messages to Parliament
(राष्ट्रपति का संसद को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार)

इससे राष्ट्रपति सीधे संसद से संवाद कर सकते हैं और महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रख सकते हैं।

- उपधारा (1): संसद को संबोधित करने का अधिकार
  - राष्ट्रपति किसी एक सदन या दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकते हैं।
  - वे किसी भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय या सार्वजनिक विषय पर संसद को संबोधित कर सकते हैं, जब भी उन्हें उचित लगे।
- उपधारा (2): संसद को संदेश भेजने का अधिकार
  - राष्ट्रपति किसी भी सदन को संदेश भेज सकते हैं, चाहे सत्र चल रहा हो या नहीं।
  - जिस सदन को संदेश भेजा गया है, उसे उस संदेश पर विचार करना और आवश्यक कार्रवाई करनी होती है।

Article 86 deals with the powers of the President to address either **House of Parliament (Lok Sabha or Rajya Sabha)** and to send messages to them.
It ensures that the President can directly communicate with the Parliament regarding important national matters.

Clause (1): Right to Address Parliament

The President may address either House of Parliament, or both Houses assembled together.
The President can speak on any matter of national or public importance whenever he deems it necessary.

Clause (2): Right to Send Messages

The President may send messages to either House, whether during a session or otherwise.
The House receiving the message must consider it with due respect and take appropriate action.

Article 87 – Special Address by the President (राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण)

अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण (Special Address) से संबंधित है।
यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति हर वर्ष और **प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद** संसद के **दोनों सदनों** को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे।
इस अभिभाषण में राष्ट्रपति सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और आगामी योजनाओं की जानकारी देते हैं।

उपधारा (1): विशेष अभिभाषण के अवसर

राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे –

- (a) हर लोकसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र की शुरुआत में।
- (b) हर वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में।

इस अभिभाषण में राष्ट्रपति संसद की बैठक बुलाने के कारणों तथा सरकार की नीतियों और कार्ययोजनाओं की जानकारी देते हैं।

उपधारा (2): अभिभाषण पर चर्चा का अधिकार

संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करने का अधिकार होता है।
इस चर्चा को "धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of Thanks)" कहा जाता है।
सांसद इसमें संशोधन प्रस्ताव भी ला सकते हैं ताकि वे अपनी सहमति या असहमति प्रकट कर सकें।

Article 87 of the Indian Constitution deals with the Special Address of the President to Parliament. It ensures that the President addresses both Houses of Parliament together at the beginning of every new Parliamentary year and at the start of the first session after each general election. This address outlines the government's policies, programs, and legislative agenda for the year.

•Clause (1): Special Address Occasions

The President shall address both Houses of Parliament assembled together:

•(a) At the commencement of the first session after each general election to the Lok Sabha.

•(b) At the commencement of the first session each year.

In this address, the President informs Parliament about the causes for its summons and outlines the policy priorities of the Government.

•Clause (2): Right of Discussion

•Both Houses of Parliament have the right to discuss the matters referred to in the President's Address.

•Such a discussion is called "Motion of Thanks".

•Members may move amendments to this Motion to express approval or disapproval of certain parts of the Address.

Article 88 – Rights of Ministers in Parliament (संसद में मंत्रियों के अधिकार)

महान्यायवादी के अधिकार

यह सुनिश्चित करता है कि मंत्री संसद की कार्यवाही में भाग ले सकें, लेकिन मतदान केवल तभी कर सकते हैं जब वे सांसद हों।

संसद में भागीदारी:

सभी केंद्रीय मंत्री को संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार है, भले ही वे उस समय सदस्य न हों।

इससे मंत्री नीतियों की व्याख्या, प्रश्नों के उत्तर और सरकारी मामलों की प्रस्तुति कर सकते हैं।

मतदान का अधिकार:

मंत्री मत नहीं डाल सकते जब तक कि वे उस सदन के सदस्य न हों।

सदस्यता की आवश्यकता:

अनुच्छेद 75(5) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो वह **6 महीने** से अधिक समय तक मंत्री नहीं रह सकता।

इसलिए यदि किसी को मंत्री नियुक्त किया जाता है और वे उस समय सांसद नहीं हैं, तो उन्हें **6 महीने** के भीतर चुनाव या नामांकन लेना आवश्यक है।

Article 88 of the Indian Constitution deals with the rights and privileges of the Union Ministers (Prime Minister and other Ministers) in Parliament.
It ensures that ministers can participate in parliamentary proceedings, but cannot vote unless they are members of Parliament.

Participation in Parliament:

- All Union Ministers have the right to attend and speak in either House of Parliament — **Lok Sabha or Rajya Sabha** — even if they are not members at that moment.
- This allows ministers to explain policies, answer questions, and present government matters.

Voting Rights:

- Ministers cannot vote in the House unless they are elected/nominee members of that House.

Membership Requirement:

- According to **Article 75(5),** a person cannot remain a minister for more than 6 months if they are not a member of either House.
- Therefore, ministers who are not MPs must get elected/nominated within 6 months to continue.

अनुच्छेद 89 – राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति।
Chairman and Deputy Chairman of Rajya Sabha.

अनुच्छेद 90 (Article 90) – राज्यसभा के उपसभापति (Deputy Chairman) का पद रिक्त होना, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना
Article 90: Vacation, Resignation and Removal of the Deputy Chairman of the Council of States

अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति (Deputy Chairman) के पद से संबंधित परिस्थितियों का वर्णन करता है, जिनमें उसका पद रिक्त हो सकता है, वह त्यागपत्र दे सकता है या उसे पद से हटाया जा सकता है।

(a) पद रिक्त होना (Vacation of Office)
यदि उपसभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है, तो उसका उपसभापति का पद स्वतः रिक्त हो जाएगा।
If the Deputy Chairman ceases to be a member of the Rajya Sabha, he/she shall vacate the office of Deputy Chairman.

(b) त्यागपत्र (Resignation)
उपसभापति अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति (Chairman/Vice-President of India) को संबोधित करके दे सकता है।
The Deputy Chairman may resign by writing addressed to the Chairman of the Rajya Sabha.

(c) पद से हटाया जाना (Removal)

राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों (All the then Members) के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उपसभापति को पद से हटा सकती है।

The Deputy Chairman may be removed from office by a resolution passed by a majority of all the then members of the Rajya Sabha.

14 दिन का नोटिस (14 Days' Notice)

उपसभापति को हटाने का कोई भी प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि उस प्रस्ताव की सूचना कम-से-कम 14 दिन पूर्व न दे दी गई हो।

No resolution for the removal of the Deputy Chairman can be moved unless at least 14 days' notice has been given.

अनुच्छेद 93 (Article 93) – लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष

Article 93: The Speaker and Deputy Speaker of the House of the People

अनुच्छेद 93 लोकसभा में **अध्यक्ष (Speaker)** और **उपाध्यक्ष (Deputy Speaker)** के पदों के गठन से संबंधित है। यह लोकसभा को निर्देश देता है कि वह यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुने।

Article 93 provides for the election of a Speaker and a Deputy Speaker of the Lok Sabha. The House of the People shall choose two of its members to be Speaker and Deputy Speaker as soon as may be.

लोकसभा यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी तथा जब भी इनमें से कोई पद रिक्त होगा, उस रिक्ति को भरने के लिए किसी अन्य सदस्य का चुनाव करेगी।

The House of the People shall, as soon as may be, choose two members of the House to be respectively Speaker and Deputy Speaker and, whenever the office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, the House shall choose another member to fill the vacancy.

अध्यक्ष (Speaker) का महत्व

लोकसभा का अध्यक्ष सदन का पीठासीन अधिकारी होता है।

प्रमुख कार्य (Major Functions)

लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
सदन में अनुशासन बनाए रखता है।
किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम निर्णय देता है।
बराबर मत होने की स्थिति में निर्णायक मत देता है।
लोकसभा की विभिन्न समितियों का गठन करता है।
संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है।

- Presides over the sittings of Lok Sabha.
- Maintains order and decorum.
- Certifies a Money Bill.
- Exercises casting vote in case of a tie.
- Constitutes parliamentary committees.
- Presides over Joint Sitting of Parliament.

उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) का महत्व

जब अध्यक्ष अनुपस्थित होता है या उसका पद रिक्त होता है, तब उपाध्यक्ष अध्यक्ष के सभी कार्यों का निर्वहन करता है।

The Deputy Speaker performs the duties of the Speaker when the Speaker is absent or when the office of the Speaker is vacant.

अनुच्छेद 94 – अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्यागपत्र एवं पद से हटाना।

Vacation, resignation and removal of Speaker and Deputy Speaker.

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 94लोकसभा (जनता का सदन) के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद खाली करने, इस्तीफा देने और उन्हें पद से हटाने के नियमों को रेखांकित करता है । यह सुनिश्चित करता है कि ये महत्वपूर्ण संसदीय पद जवाबदेह बने रहें और यदि सदन उनकी निष्पक्षता पर विश्वास खो दे तो उन्हें प्रतिस्थापित किया जा सके।

लेख में इन पदों के रिक्त होने के तीन मुख्य तरीके बताए गए हैं:

सदस्यता खोना: यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संसद सदस्य (एमपी) नहीं रहते हैं, तो उन्हें तुरंत अपना पद छोड़ना होगा।

त्यागपत्र: अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र लिखकर त्यागपत्र देते हैं। इसके विपरीत, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र लिखकर त्यागपत्र देते हैं।

प्रस्ताव द्वारा निष्कासन: सदन किसी भी अधिकारी को हटाने के लिए मतदान कर सकता है। इसके लिए लोकसभा केसभी सदस्यों के बहुमत (प्रभावी बहुमत) द्वारा पारित एक औपचारिक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है।

अग्रिम सूचना: इन्हें हटाने का प्रस्ताव कम से कम 14 दिन पहले ऐसा करने के इरादे की सूचना दिए बिना पेश नहीं किया जा सकता है।

Article 94 of the Indian Constitution outlines the rules for vacating, resigning, and removing the **Speaker** and **Deputy Speaker** of the Lok Sabha (the House of the People). It ensures these key parliamentary roles remain accountable and can be replaced if the House loses confidence in their impartiality.

The article specifies three main ways these positions become vacant:

Losing Membership: If the Speaker or Deputy Speaker stops being a Member of Parliament (MP), they must vacate their office immediately.

Resignation: The Speaker resigns by writing a resignation letter to the Deputy Speaker. Conversely, the Deputy Speaker resigns by writing to the Speaker.

Removal by Resolution: The House can vote to remove either official. This requires a formal resolution passed by a **majority of all the then members** (an effective majority) of the Lok Sabha.

Advanced Notice: A resolution to remove them cannot be introduced without giving at least **14 days' notice** of the intention to do so.

अनुच्छेद 100 (Article 100) – संसद के सदनों में मतदान, गणपूर्ति (Quorum) एवं रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की शक्ति

अनुच्छेद 100 संसद के दोनों सदनों
(लोकसभा एवं राज्यसभा) में:
मतदान की प्रक्रिया,
बहुमत से निर्णय,
गणपूर्ति (Quorum),
रिक्तियों के बावजूद कार्यवाही की वैधता
से संबंधित प्रावधान करता है।

Article 100 deals with:
Voting in the Houses of Parliament.
Decision-making by majority.
Quorum required for conducting business.
Validity of proceedings despite vacancies.

Clause (1) – Voting in Parliament

All questions in either House of Parliament shall be decided by a majority of members present and voting.

संसद के किसी भी सदन में उठाए गए प्रश्नों का निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से किया जाएगा।

The Speaker (Lok Sabha) or Chairman (Rajya Sabha) does not vote in the first instance, but can exercise a casting vote in case of a tie.

लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति सामान्यतः मतदान नहीं करते, लेकिन मतों की संख्या बराबर होने पर निर्णायक मत (Casting Vote) दे सकते हैं।

Clause (2) – Vacancy does not affect Proceedings

The House can function even if there are vacancies among its members.
Any proceeding remains valid even if later it is discovered that a person who was not entitled to sit or vote participated in the proceedings.

यदि सदन में कुछ सीटें रिक्त हों, तब भी सदन कार्य कर सकता है।
किसी कार्यवाही को केवल इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि बाद में पता चला कि किसी ऐसे व्यक्ति ने मतदान या भागीदारी की थी जो उसका अधिकारी नहीं था।

Example

यदि किसी सदस्य की सदस्यता बाद में अवैध घोषित हो जाए, तो उसके पहले की गई सदन की कार्यवाही सामान्यतः वैध रहेगी।

Clause (3) – Quorum of Parliament

The quorum to constitute a meeting of either House shall be **one-tenth of the total number of members of the House**.

किसी भी सदन की बैठक चलाने के लिए उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग उपस्थित होना आवश्यक है।

Clause (4) – Absence of Quorum

If at any time during a meeting there is no quorum, the Speaker or Chairman shall:
Adjourn the House, or
Suspend the meeting until quorum is achieved.

यदि किसी बैठक के दौरान गणपूर्ति (Quorum) पूरी नहीं होती है, तो अध्यक्ष/सभापति:
सदन को स्थगित कर सकते हैं, या गणपूर्ति पूरी होने तक बैठक को निलंबित कर सकते हैं।

अनुच्छेद 101 (Article 101) – संसद की सदस्यता का रिक्त होना (Vacation of Seats)

Article 101 lays down the circumstances under which a seat of a Member of Parliament (MP) becomes vacant.

Clause (1) – Membership of Both Houses

No person shall be a member of both Houses of Parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha) at the same time.

If a person is elected to both Houses, he must vacate one seat according to the law made by Parliament.

कोई व्यक्ति एक साथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य नहीं हो सकता।
यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो उसे संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार एक सीट छोड़नी होगी।

Example

यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों का चुनाव जीत जाए, तो उसे एक सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ेगी।

Clause (2) – Membership of Parliament and State Legislature

No person shall be a member of Parliament and a State Legislature simultaneously. If a person is elected to both, he must resign from one office within the prescribed period; otherwise, his Parliament seat becomes vacant.

कोई व्यक्ति एक साथ संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं रह सकता।
यदि कोई व्यक्ति दोनों के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो उसे निर्धारित अवधि में एक पद छोड़ना होगा, अन्यथा उसकी संसद की सीट रिक्त हो जाएगी।

Example

यदि कोई सांसद (MP) बाद में किसी राज्य विधानसभा का सदस्य भी चुन लिया जाता है, तो उसे दोनों में से एक सदस्यता छोड़नी होगी।

Clause (3) – Resignation and Disqualification सदस्य की सीट निम्न परिस्थितियों में रिक्त हो जाएगी–

(a) Disqualification

If a member becomes subject to any disqualification mentioned in:

Article 102(1), or Tenth Schedule (Anti-Defection Law), his seat shall become vacant.

यदि कोई सदस्य: अनुच्छेद 102(1) के अंतर्गत अयोग्य हो जाए, या
दसवीं अनुसूची (दल-बदल कानून) के अंतर्गत अयोग्य घोषित हो जाए, तो उसकी सीट रिक्त हो जाएगी।

(b) Resignation:-A member may resign by writing under his hand addressed to:

Speaker (Lok Sabha), or Chairman (Rajya Sabha).

The resignation is accepted only if it is voluntary and genuine.

सदस्य अपने हस्ताक्षरयुक्त पत्र द्वारा:- लोकसभा अध्यक्ष को, या राज्यसभा सभापति को त्यागपत्र दे सकता है।
त्यागपत्र तभी स्वीकार किया जाएगा जब वह स्वैच्छिक (Voluntary) और वास्तविक (Genuine) हो।

Important Amendment

यह प्रावधान 33वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1974 द्वारा जोड़ा गया था ताकि दबाव या प्रलोभन में दिए गए त्यागपत्रों को रोका जा सके।

Clause (4) – Absence for 60 Days

If a member remains absent from all meetings of the House for **60 days** without permission of the House, the House may declare his seat vacant.
While calculating 60 days:
Period of prorogation is excluded.
Adjournment for more than four consecutive days is excluded.

यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना **लगातार 60 दिनों तक** सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट रिक्त घोषित कर सकता है।
60 दिनों की गणना में:
सत्रावसान (Prorogation) की अवधि नहीं जोड़ी जाती।
चार दिनों से अधिक के स्थगन (Adjournment) की अवधि भी नहीं जोड़ी जाती।

THANK YOU

airGurukul

Preparing Bharat, Empowering Futures

airGurukul Institute for Career Growth

www.airgurukul.com

Follow Us |

Powered by **Prince Edutech Private Limited**